न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 75/2024
तारीख दायरः—18.07.2024
पीठासीन अधिकारीः—विजयेश कुमार पण्डया, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री दशरथ सिंह, मैसर्स सिसोदिया किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, चूपना
2. श्री पलाश डोशी पुत्र श्री प्रदीप कुमार डोशी, मैसर्स प्रिया फूड इण्डस्ट्रीज, 59 Abhinandan Exe, 3 Main Road, Mandsaur 458001 (m.p.)

— अप्रार्थी

:—आदेश—:

दिनांक 18/03/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड लाल मिर्च पाउडर (देशी स्पाईसी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा मुख्य पत्र की प्रति पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:06:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 29.04.2024 को 2.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 सिसोदिया किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड चूपना पहुंचा वहां पर लाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

मिर्ची पाउडर (देशी स्पाईसी) 7 किलो पैक पैकेट पैक अवस्था में रखे हुए थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थिति हुआ उसने अपना नाम गजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री दशरथ सिंह बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैक अवस्था में रखी लाल मिर्ची पाउडर (देशी स्पाईसी) पर शक होने पर विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 2 किलोग्राम के लाल मिर्ची पाउडर (अग्रवाल 420) के 4 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 700/–रू विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर (देशी स्पाईसी) की पैक थैलियो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग 2 भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. प्रतापगढ़ के कोड कमांक वाई–2156 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल [illegible] 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक [illegible] स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की । 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन [illegible] बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ.को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:06:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया लाल मिर्च पाउडर का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया। विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र एवं बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। उक्त क्रम में मैसर्स प्रिया फूड प्रोडक्ट मन्दसौर को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया जिस पर फर्म द्वारा आधार कार्ड एवं पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी क्रमांक 2 ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अपने जवाब में मात्र परिवाद में अंकित बिन्दूओं को अस्वीकार किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच/लेब/बांसवाडा/एक्ट/2024/532 दिनांक 09.05.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा लाल मिर्च पाउडर (देशी स्पाईसी) का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की [illegible] की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:06:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत दिनांक 29.04.2024 को उपलब्ध कुल माल 7 किलो की कुल कीमत 2450 की बीस गुना शास्ति 49000/– अक्षरे उनपचास हजार रू अप्रार्थी श्री पलाश डोशी पुत्र श्री प्रदीप कुमार डोशी, मैसर्स प्रिया फूड इण्डस्ट्रीज, 59 Abhinandan Exe, 3 Main Road, Mandsaur 458001 (m.p.) पर आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवानगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 18.03.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

18/3/25

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2025/ 1904-15 दिनांक 18.03.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री पलाश डोशी पुत्र श्री प्रदीप कुमार डोशी, मैसर्स प्रिया फूड इण्डस्ट्रीज, 59 Abhinandan Exe, 3 Main Road, Mandsaur 458001 (m.p.)

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

25-3-25

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 17:06:15 IST
Reason: SelfAttested